


कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक एवम् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

( sp-bilaspur.cg@gov.in) T.P.No. 07752-223330 Fax 07752-250202

आदेश

थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर के अपराध क्रमांक-383/2026 धारा 64(2), (M), 65(2), 351(3) बी.एन.एस. एवम् 4(2), 5(ठ), 5(ड) पॉक्सो अधिनियम के प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री अभय सिंह बैस, थाना सिरगिट्टी के द्वारा अत्यंत संवेदनशील प्रकरण में लापरवाही बरतते हुए घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया गया। प्रकरण से सम्बंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों को एकत्र न करते हुए BNSS की धारा 176(3) के अन्तर्गत 7 वर्ष या अधिक की सजा वाले प्रकरणों सीन ऑफ कार्डम यूनिट टीम को भी आहूत न कर उपेक्षापूर्ण आचरण प्रदर्शित कर लापरवाही बरती गई।


अतएव उक्त लापरवाही बरतने के फलस्वरूप निरीक्षक अभय सिंह बैस, थाना प्रभारी सिरगिट्टी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यन्त रक्षित केन्द्र, बिलासपुर सम्बद्ध किया जाता है।

  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
एवम् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)

क्रमांक : उमनि/वपुअ/बिला/स्टेनो/1/ 217 /2026  
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, 14 जून, 2026

1. पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अति. पुलिस अधीक्षक, शहर बिलासपुर को आ.का. हेतु।
3. नगर पुलिस सिविल लाईन, जिला बिलासपुर को निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षक अभय सिंह बैस, जिला बिलासपुर की तत्सम्बंध में प्राथमिक जांच कर प्रतिवेदन मय सुसंगत दस्तावेजों के 07 दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित निरीक्षक, बिलासपुर को ओ.बी. आदि हेतु।
5. निरीक्षक अभय सिंह बैस, को पालनार्थ।
6. मुख्य लिपिक/स्टेनो-1/वेतन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
पुलिस उप महानिरीक्षक  
एवम् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)